दिनाक 30.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–30 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद फिरोजाबाद /थाना पचोखरा</u>

- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **03 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 45 हजार 930 रूपये नगद, 01 टेबलेट, 01 मोबाइल, 02 अवैध तमंचे मय जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.10.2020 की सायं थाना पचोखरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–सोनू, 2–अंकित, 3–मंकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 45 हजार 930 रूपये नगद, 01 टेबलेट, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 27.10.2020 को 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी टुण्डला के कर्मचारी से 45 हजार 930 रूपये नगद व 01 टेबलेट, 01 मोबाइल फोन लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर मु0अ0सं0–204/2020 धारा 392/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से बरामद रूपये, टबेलेट व मोबाइल उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोनू निवासी मरसैना थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

2–अंकित निवासी मरसैना थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

3—मंकेश निवासी मरसैना थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1— लूट के 45 हजार 930 रूपये, 01 टबेलेट, एवं 01 मोबाइल फोन।

2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 जीवित कारतूस।

3— घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **25—25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस, 01 कार बरामद**

दिनांक 29.10.2020 को थाना सैदपुर, थाना करण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धुवार्जुन पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित 02 अपराधियों 1—गौरव उर्फ सन्नी, 2— देवेन्द्र उर्फ चन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस व 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 523/2020 धारा 147/148/149/307/302/396/323/504/506/427/412 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव उर्फ सन्नी निवासी भिलीहीली थाना तरवॉ जनपद आजमगढ़।

2—देवेन्द्र उर्फ चन्दन निवासी ग्राम मंगारी थाना सादात जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः—

1—01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस।

2—01 कार ।

जनपद बिजनौर/थाना नहटौर

- **15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 30.10.2020 को थाना नहटौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला सराय रजबअली से पुरस्कार घोषित 02 अपराधी, 1–आकिल 2–आदिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नहटौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नहटौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकिल निवासी मोहल्ला सराय रजबअली थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2–आदिल निवासी मोहल्ला सराय रजबअली थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर/थाना अफजलगढ़

- **15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 30.10.2020 को थाना अफजलगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटार मल तिराहा से पुरस्कार घोषित 02 अपराधी, 1–जागीर, 2–किशनचन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अफजलगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जागीर निवासी ग्राम भोगपुर, थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।
2–किशनचन्द निवासी भोगपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 09 मोटर साइकिल, बरामद**

दिनांक 29.10.2020 की रात्रि थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोलाना मोड़ पर 02 वाहन चोर 1–बाबी, 2–नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिले, बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा विभिन्न स्थानो से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बाबी निवासी मयूर बिहार डासना थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।

2–नीरज निवासी नरैना थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल

जनपद बदायूं/थाना वजीरगंज

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 08 मोटर साइकिल,**
- **02 अवैध तमंचा मय 05 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.10.2020 की रात्रि थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 वाहन चोर 1–बजरूल 2–साकिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, व 05 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद बदायूं के विभिन्न थानो पर लूट, चोरी, गैंगेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद बदायूं व आस पास के जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बजरूल निवासी इस्माइलपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूं

2—साकिर निवासी भमुइया थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, व 05 जीवित कारतूस

जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुदागंज

- **ए0टी0एम0 बदलकर पैसा निकालकर धोखाधड़ी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचे 04 कारतूस विभिन्न बोर, 05 मोबाइल फोन, 03 ए0टी0एम0कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 30.10.2020 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मझिला रोड से महादेव मंदिर के पास 04 अभियुक्तों 1—राजेश , 2—मीनू, 3—कृष्ण, 4—बलजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचे, 04 कारतूस विभिन्न बोर, 05 मोबाइल फोन, 03 ए0टी0एम0कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा सड़क के किनारे पड़ने वाले ए0टी0एम0 में पहुँचकर, जब कोई व्यक्ति ए0टी0एम0कार्ड से रूपये निकालने आता था और अपना ए0टी0एम0 कोड नम्बर डालता है, उसके कोड नम्बर देख लेते है तथा उस व्यक्ति को झॉसे में लेकर उसका ए0टी0एम0 अपने हाथ में लेकर बदल लेते है और उस व्यक्ति के एकाउंट में से पैसा निकाल लेते है। गिरफ्तार अभियुक्त गाड़ी लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आदि प्रान्तों में घूमकर अपराध कारित करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना खुदागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजेश निवासी ग्राम लुहारी राखो थाना नार नौद जनपद हिसार हरियाणा।

2—मीनू निवासी ग्राम मसूदपुर थाना हॉसी जनपद हिसार, हरियाणा।

3—कृष्ण निवासी ग्राम मसूदपुर थाना हॉसी जनपद हिसार, हरियाणा।

4—बलजीत निवासी ग्राम ढाणी राजू थाना हॉसी जनपद हिसार, हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1—01 चार पहिया वाहन,
2—02 अवैध तमंचे 04 कारतूस विभिन्न बोर,
3—05 मोबाइल फोन, 03 ए0टी0एम0कार्ड आदि बरामद।

<u>जनपद जालौन/थाना कदौरा</u>

- **डकैती की घटना का अनावरण 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूटे गये 22 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर बरामद**

दिनॉक:30.10.2020 को थाना कदौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पडौरा के पास नाका तिराहे से 06 शातिर अभियुक्तों 1—शाहरून, 2—आरिफ, 3—अशफाक, 4—अक्सारूद्दीन उर्फ अफसार, 5—इदरीश, 6—सौरभ को गिरफ्तार कर डकैती

की घटना का अनावरण किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 22 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर के बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है,जिनके द्वारा दिनॉकः 26.10.2020 को बबीना पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कदौरा पर मु0अ0सं0—148/2020 धारा 395/397/120 बी/412 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कदौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरून निवासी चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन।

2—आरिफ निवासी चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन।

3—अशफाक निवासी चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन।

4—अक्सारूद्दीन उर्फ अफसार निवासी चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन।

5—इदरीश निवासी चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन।

6—सौरभ निवासी मोहल्ला हवेली थाना व कस्बा कदौरा जनपद जालौन।

बरामदगी

1—लूट गये 22 हजार 500 रूपये नगद,
2— 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर

जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त उमेश सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 25 लाख 50 हजार रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 पॉक्सो प्रथम बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 542/323/376 भादवि में अभियुक्त शेखर को 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———